e-office No. 583818/19/CF

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
Ansari Nagar, New Delhi-29
(ESTABLISHMENT SECTION (DO)

25 JUN 2019

No.F.20- /2019 (Misc)Estt. I Dated the:

MEMORANDUM

Sub: Guidelines for Law Enforcers for effective implementation of Tobacco Control Laws 2013 – regarding.

****

Whereas, it is expedient to implement the relevant provisions of COTP – 2003 Act as applicable to Public Places {as per Section – 3 (1)) including Educational Institute/Hospital, as AIIMS comes under the definition of Public Place described in the said Act. Section – 3 (I) defines Public Place as under:-

"Public place" means any place to which the public have access, whether as of right or not, and includes auditorium, hospital buildings, railway waiting room, amusement centres, restaurants, public offices court buildings educational institutions, libraries, public conveyances and the like which are visited by general public but does not include any open space."

Whereas, AIIMS, New Delhi being a premier Educational Institute and renowned Hospital having its own Library, auditorium, amusement centre (in hostel including gymkhana), cafeteria & mess, Shuttle service which satisfies the definition of public place in entirety as a consequence of which making prohibition of smoking at public place under Section-4 of the said Act is applicable in AIIMS, New Delhi.

Whereas, Section -21 (1) of this Act provides for the penalty on the person contravening the provision of section 4, which is fine which may extend to two thousand rupees.

Whereas, Ministry of Health and Family Welfare in exercise of the power conferred by Section 31 of the said Act enacted Rules, in supersession to Rule 3 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004, Rule – 3 provides for the duty of authorised officials to ensure that:

- No person smokes in the public place (under his jurisdiction/implied)
- The board as specified in schedule-II is displayed prominently at the entrance of the public place, in case there are more than one entrance at each such entrance and conspicuous place(s) inside. In case If there are more than one floor, at each floor including the staircase and entrance to the lift/s at each floor.

प्राप्त किया / RECEIVED
कम्प्यूटर सुविधा / Computer Facility
01 JUL 2019
समय / Time...... 4:58 pm
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली / A.I.I.M.S. New Delhi-29

Mr. Pawan Kr.
n.a.81.

2/7/2019

02/07/19

- No ashtrays, matches, lighters or other things designed to facilitate smoking are provided in the public place.
- The owner, proprietor, manager, supervisor or in charge of the affairs of a public place shall notify and cause to be displayed prominently the name of the person(s) to whom a complaint may be made by a person(s) who observes any person violating the provision of these Rules.
- Recovery of Penalty/ fine by authorised officers : the authorised officers mentioned in schedule III shall be competent to act under and compound the offences committed in violation of section 4 of the Act.

To enforce above mentioned provisions of this Act, Director, AIIMS has nominated following officials as Authorized officers for various patient care areas as below:

1.	Main Hospital	-	Dr. D. K. Sharma, Medical Superintendent
2.	Dr. R. P. Centre	-	Dr. Shakti Kr Gupta, Medical Superintendent
3.	CTNS Centre & CDER	-	Dr. I. B. Singh, Addl. Medical Superintendent
4.	Dr. BRA, IRCH	-	Dr. Siddharth Sathpathy, Addl. Medical Supdt.
5.	JPNATC	-	Dr. Amit Lathwal, Addl. Medical Superintendent
6.	NDDTC	-	Dr. R. K. Chadda, Professor & Chief

Authorised officials are requested to initiate necessary measures to ensure compliance with above provisions of this Act in their areas of jurisdiction.

Hindi version will follow

25/6/19

(PALLAV KUMAR CHITTEJ)
Administrative Officer

<u>**Distribution:**</u>

1. All concerned Authorized officers.
2. All Chief of Centres, AIIMS, New Delhi
3. All Head of the Deptt. /Sections/Unit, AIIMS, New Delhi
4. PPS to Director, AIIMS, New Delhi
5. PS to Dy. Director (Admn.)/Dean (Aacd/Research/Exam)/MS/ Sr.FA/ Dy.Secy/CAO, AIIMS, New Delhi
6. **The Computer Facility** – with a request to upload this on official website of the Institute
7. **The Sr. Hindi Officer** – with request to provide the hindi version for the same for uploading on the AIIMS website.

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
(स्थापना अनुभाग (नि.का.))

फा.सं. 20-29/2019(विवि.)स्था.-। दिनांक: 01 JUL 2019

ज्ञापन

विषय: संस्थान में तंबाकू नियंत्रण कानून 2013 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कानून के लागूकर्ताओं हेतु दिशा-निर्देश।

चूंकि, शैक्षिक संस्थान /अस्पताल सहित सार्वजनिक स्थानों में (खंड 3(1) के अनुसार) लागू सीओटीपी-2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद) अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों को लागू करना आवश्यक है। जैसाकि अस्पताल होने के नाते अ.भा.आ.सं. भी उक्त अधिनियम की धारा 3(1) में दर्शाई गई परिभाषा के तहत सार्वजनिक स्थान की परिभाषा के अंतर्गत आता है:-

"सार्वजनिक स्थान" से अभिप्राय ऐसा कोई भी स्थान जहां जनता की पहुंच हो चाहे वह जनसाधारण के अधिकार क्षेत्र में हो अथवा न हो और इसमें ऑडिटोरियम (सभागार), अस्पताल भवन, रेलवे प्रतीक्षालय, मनोरंजन केंद्र, रेस्तरां, जन कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय, जन परिवहन सम्मिलित हैं, जहां पर जनसाधारण का निरंतर आवागमन रहता है, परंतु इसमें कोई खुला स्थान सम्मिलित नहीं है।

चूंकि अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली, एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और प्रसिद्ध अस्पताल है जिसका अपना पुस्तकालय, ऑडिटोरियम (सभागार), मनोरंजन केंद्र (छात्रावास, जिमखाना सहित) कैफेटेरिया और मैस, शटल सेवा है जो पूरी तरह से सार्वजनिक स्थान को परिभाषित करता है, जिसके परिणामस्वरूप अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली में उक्त अधिनियम की धारा 4 लागू होती है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है।

चूंकि, इस अधिनियम की धारा 21(1) में धारा 4 के प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है, जो 2 हजार रूपये तक हो सकता है।

हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियमावली 2004 (विज्ञापन पर रोक, व्यापार एवं व्यवसाय का विनियमन उत्पादन और आपूर्ति तथा वितरण) के नियम 3 का अधिक्रमण करते हुए, नियम 3 में प्राधिकृत अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि:-

- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान न करें (उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत)।
- जैसाकि अनुसूची-।। में निर्दिष्ट है सार्वजनिक स्थल के प्रवेश द्वारा पर बोर्ड को प्रमुखता से दर्शाया जाए। यदि किसी भवन में एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो प्रत्येक प्रवेश द्वारा पर तथा अंदर प्रमुख स्थानों पर बोर्ड को दर्शाया जाए। यदि भवन में एक से अधिक मंजिल है तो प्रत्येक मंजिल पर एवं सीढ़ियों पर तथा प्रत्येक मंजिल पर लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर भी बोर्ड को दर्शाया जाए।

प्राप्त किया / RECEIVED
कम्प्यूटर सुविधा / Computer Facility
01 JUL 2019
समय / Time
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली / A.I.I.M.S., New Delhi-29

अन्य चीजें सार्वजनिक स्थान पर उपलब्ध न हों।

- किसी सार्वजनिक स्थान के मालिक, प्रोपराइटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक तथा सार्वजनिक स्थान के मामलों के प्रभारी के नाम तथा कारण को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए तथा उस व्यक्ति(यों) के नाम को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए जिनके पास इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की शिकायत की जा सकती है।
- प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हरजाने/जुर्माने की वसूली: अनुसूची ।।। में उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कार्य करने एवं इसके उल्लंघन में किए गए अपराधों को तय करने के लिए सक्षम होंगे।

इस अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों को लागू करने के लिए निदेशक, अ.भा.आ.सं. ने निम्नलिखित अधिकारियों को विभिन्न रोगी देखभाल क्षेत्रों के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामित किया है:-

1	मुख्य अस्पताल	-	डॉ.डी.के. शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक
2	डॉ.रा.प्र.केन्द्र	-	डॉ. शक्ति कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षक
3	हृ.व.तं.वि.कें. एवं दं.शि. एवं अनु.कें.	-	डॉ. आई.बी. सिंह, अपर चिकित्सा अधीक्षक
4	डॉ.भी.रा.अ.सं.रो.कें.अ.	-	डॉ. सिद्धार्थ सतपथी, अपर चिकित्सा अधीक्षक
5	ज.प्र.ना.ट्रॉमा केन्द्र	-	डॉ. अमित लठवाल, अपर चिकित्सा अधीक्षक
6	एन.डी.डी.टी.सी.	-	डॉ. आर.के. चड्ढा, आचार्य एवं प्रमुख

प्राधिकृत अधिकारीगण से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में इस अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना आरंभ करें।

(पल्लव कुमार चित्तेज)
प्रशासनिक अधिकारी

<u>**वितरण:**</u>

1. सभी संबद्ध प्राधिकृत अधिकारीगण।
2. सभी केन्द्र प्रमुख, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली।
3. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभाग/यूनिट, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली।
4. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली।
5. उप-निदेशक (प्रशा.)/संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक/वरिष्ठ वित्त सलाहकार/उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली।
6. कंप्यूटर सुविधा:- संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।